# <u>कार्यालय :– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा (म0प्र0)</u>

क्रमांक–Q-57 / जि0न्या0छिं0 / 2020 छिंदवाड़ा, दिनांक 08.05.2021

## :: <u>विविध आदेश</u> ::

छिन्दवाड़ा जिले में कोविड–19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये जिला दण्डाधिकारी छिन्दवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–05–2021 अनुसार 3 मई से 17 मई 2021 की सुबह तक संपूर्ण जिला छिन्दवाड़ा में कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। इस दौरान आवागमन पर पूर्णतः प्रतिबंद है इसलिये पक्षकार, साक्षीगण एवं अधिवक्तागण का न्यायालय तक आना संभव नहीं है। इस संबंध में अध्यक्ष, अभिभाषक संघ छिन्दवाड़ा से परामर्श किया गया। वर्तमान परिस्थितियों में नियमित रूप से न्यायालयों में कार्य करने की स्थिति नहीं है, ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के एस.ओ.पी. क्रमांक–ए / 113, दिनांक 15.01.2021, क्र.–ए / 149, दिनांक 03.04.2021 एवं एस.ओ.पी. दिनांक 20.04.2021 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं बी.पी. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा, कोविड–19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिये दिनांक 10.05.2021 से 13.05.2021 तक जिला न्यायालय छिन्दवाड़ा (परिवार न्यायालय एवं श्रम न्यायालय सहित) एवं उसकी समस्त तहसीलों के लिये सिविल न्यायालयों में सीमित कार्य किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

2– इस दौरान अत्यावश्यक प्रकृति (जमानत, सुपुर्दनामा, धारा 164 के कथन, रिमाण्ड, अंतिम प्रतिवेदन, अस्थायी निषेधाज्ञा पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रकृति के सिविल एवं आपराधिक प्रकरण, जो न्यायालय के मत में त्वरित सुनवायी योग्य हों) के मामलों की सुनवायी दोपहर पश्चात् 3 से 5 बजे के मध्य केवल वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की जावेगी। आवश्यक कार्य निष्पादित कर रहे न्यायाधीश अपवादित स्थिति (व्ही.सी. से सुनवायी न होने की स्थिति) में कोविड–19 के दिशा–निर्देशों के अधीन भौतिक सुनवायी कर सकेंगे।

3– सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन / अन्य अत्यावश्यक प्रकृति के आवेदन वर्चुअल माध्यम से आवश्यक कार्य निष्पादित करने वाले विशेष न्यायाधीश / अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा ही निराकृत किये जायेंगे।

4– उक्त दिनांकों में अत्यावश्यक कार्य हेतु निम्नलिखित न्यायिक अधिकारीगण आवश्यकतानुसार अपने अधीनस्थ पदस्थ स्टॉफ सहित न्यायालय में 3 से 5 बजे के मध्य अत्यावश्यक कार्य संपादित करेंगे :–

| मुख्यालय | दिनांक | न्यायिक अधिकारी का नाम |
|---|---|---|
| **जिला मुख्यालय छिन्दवाड़ा** | 10.05.2021 एवं 11.05.2021 | 1–श्री एच.पी.बंशकार, पं0अ0जि0न्या0छिन्दवाड़ा<br>2–श्री गुरूवेन्द्र हुरमाड़े, तृ0व्य0न्या0वर्ग–2 छिन्दवाड़ा |
| | 12.05.2021 एवं 13.05.2021 | 1–श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव, द्वि.अ.जि.न्या.छिन्दवाड़ा<br>2–श्री विनीत साकेत, प्र0व्य0न्या0वर्ग–2 छिन्दवाड़ा |
| **तहसील मुख्यालय सौंसर** | 10.05.2021 से 11.05.2021 | 1–श्रीमती शालिनी सिंह शर्मा, अ0जि0न्या0सौंसर<br>2–श्री पुष्पराज सिंह उइके, व्य0न्या0वर्ग–1 सौंसर |
| | 12.05.2021 से 13.05.2021 | 1–श्री प्रणयदीप ठाकुर, अति0अ0जि0न्या0सौंसर<br>2–श्रीमती रूपाली उईके, अति0व्य0न्या0वर्ग–1 सौंसर |
| **तहसील मुख्यालय पांढुर्णा** | 10.05.2021 से 13.05.2021 | 1–श्री के0डी0महार, अति0अ0जि0न्या0पांढुर्णा |
| | 10.05.2021 से 11.05.2021 | 2–श्री जे0बी0एस0राजपूत, व्य0न्या0वर्ग–1 पांढुर्णा |
| | 12.05.2021 से 13.05.2021 | 3–श्री प्रियांशु पांडे, द्वि0व्य0न्या0वर्ग–2 पांढुर्णा |
| **तहसील मुख्यालय परासिया** | 10.05.2021 से 13.05.2021 | 1–श्री अल्तमश रहमान, प्र0व्य0न्या0वर्ग–2 परासिया |
| **तहसील मुख्यालय जुन्नारदेव** | 10.05.2021 से 13.05.2021 | 1–श्रीमती सोमप्रभा चौहान, अ0जि0न्या0जुन्नारदेव |
| | 10.05.2021 से 13.05.2021 | 2–श्री रूपेश नायक, व्य0न्या0वर्ग–1 जुन्नारदेव |

| | | |
|---|---|---|
| **तहसील मुख्यालय अमरवाड़ा** | 10.05.2021 से 11.05.2021 | 1–श्रीमती निशा विश्वकर्मा, अ0जि0न्या0अमरवाड़ा<br>2–सुश्री संध्या मरावी, व्य0न्या0वर्ग–1 अमरवाड़ा |
| | 12.05.2021 से 13.05.2021 | 1–श्री अजयनील करोठिया, अ0जि0न्या0अमरवाड़ा<br>2–सुश्री संध्या मरावी, व्य0न्या0वर्ग–1 अमरवाड़ा |
| **तहसील मुख्यालय चौरई** | 10.05.2021 से 13.05.2021 | 1–श्री प्रदीप बरकड़े, अ0जि0न्या0चौरई<br>2–श्री रूपेन्द्र मड़ावी, प्र0व्य0न्या0वर्ग–2 चौरई |
| **तहसील मुख्यालय तामिया** | 10.05.2021 से 13.05.2021 | 1–श्री प्रतीक तोमर, व्य0न्या0वर्ग–2 तामिया |
| **तहसील मुख्यालय हर्रई** | 10.05.2021 से 13.05.2021 | 1–श्री कपिल बौरासी, व्य0न्या0वर्ग–2 हर्रई |

नोट :–उपरोक्त वर्णित न्यायाधीश के उपलब्ध न होने/अस्वस्थ रहने की दशा में मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम अति.जिला एवं सत्र न्यायाधीश/व्यवहार न्यायाधीश कार्य करेंगे। इसी प्रकार पूर्व में घोषित सार्वजनिक अवकाश की तिथियों में मु0न्या0मजि0 द्वारा दिये गये आदेश के कम में संबंधित मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी से संबंधित कार्य करेंगे।

5– केन्द्रीय पंजीयन हेतु निम्नानुसार प्रत्येक अकार्य दिवस मे एक कर्मचारी उक्त समयावधि में उपस्थित होकर कार्य निष्पादित करेंगे :–

| कमांक | दिनांक | कर्मचारी का नाम |
|---|---|---|
| 1 | 10.05.2021 से 11.05.2021 | श्रीमती कविता राय |
| 2 | 12.05.2021 से 13.05.2021 | श्रीमती अनिता उइके |

अपवादित परिस्थितियों में ही न्यायालय के फाईलिंग काउंटर में आवेदनपत्र 3 से 5 बजे के मध्य कोविड–19 के संबंध में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुये प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

6– जूनियर सिस्टम एनॉलिस्ट श्री अमित बावने एवं डी.एस.ए. श्री विजय शेरके प्रत्येक अकार्य दिवस में 3 से 5 बजे तक अत्यावश्यक कार्य संपादित करेंगे। तहसील मुख्यालयों पर उक्त कार्य का संचालन आई0टी0असिस्टेंट/एस0ए0 संपादित करेंगे ताकि कोई भी प्रकरण अनडेटेट न रहे।

7– इसके साथ ही उक्त निर्देश के पालन में छिन्दवाड़ा जिले के समस्त न्यायालयों में उक्त अवधि में नियत प्रकरणों की सुनवायी हेतु निम्नानुसार आगामी तिथियां नियत की जाती है :–

| कमांक | नियत तिथि | आगामी तिथि |
|---|---|---|
| 1 | 10.05.2021 | 07.06.2021 |
| 2 | 11.05.2021 | 08.06.2021 |
| 3 | 12.05.2021 | 09.06.2021 |
| 4 | 13.05.2021 | 10.06.2021 |

8– ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान अति आवश्यक व्यवहार वाद की सुनवायी के लिये म0प्र0सिविल कोर्ट एक्ट की धारा–21 के अंतर्गत आवेदन कार्यरत ग्रीष्मकालीन न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे और उक्त आवेदन उनके द्वारा ही निराकृत किये जायेंगे, कि प्रकरण ग्रीष्मकालीन अवकाश में सुनवायी योग्य हैं या नहीं।

9– कोरोना संकमित कर्मचारीगण स्वस्थ होने पर सूचना तत्काल कार्यालय को प्रेषित करेंगे अन्यथा शासन/माननीय उच्च न्यायालय की गाईड लाईन अनुसार विहित अवधि पश्चात् उन्हें कार्य से अनुपस्थित समझा जायेगा।

10– जो कर्मचारी स्वस्थ हो चुके हैं अथवा गाइड लाईन अनुसार जिनकी होम आइसोलेशन की अवधि पूर्ण हो चुकी है और उन्हें आगे चिकित्सीय परामर्श से किसी आराम की सलाह नहीं दी गई है, वे तत्काल कार्यालय को सूचित कर अपनी उपस्थिति दर्ज करायें। जिन कर्मचारियों को चिकित्सीय परामर्श से आगे विश्राम की सलाह दी गई है, वे चिकित्सकीय प्रमाणपत्र सहित आवेदन देकर कार्यालय

को सूचित करें अन्यथा उन्हें कार्य से अनुपस्थित समझा जायेगा।

11— उक्त दिनांकों में कार्यालय एवं समस्त अनुभाग के कर्मचारी आवश्यकतानुसार आदेशित किये जाने पर उपस्थित रहेंगे। शेष सभी कर्मचारी घर पर रहकर आवश्यक होने पर कार्य करेंगे या मोबाईल पर सूचना दिये जाने पर कार्यालय पर तत्काल उपस्थित होंगे। मोबाईल बंद करने या रिसीव नहीं करने की स्थिति में उन्हें कार्य से अनुपस्थित समझा जायेगा। ऐसे कर्मचारी जिनके पास मोबाईल या नेटवर्क की सुविधा नहीं है वे नियमित रूप से न्यायालय/कार्यालय आकर अपनी ड्यूटी करें।

12— उक्त अवधि में यथासंभव समस्त अर्जेट प्रकृति के मामलों की सुनवाई व्ही.सी./अन्य वर्चुअल माध्यम से की जायेगी। पक्षकार/अधिवक्तागण जमानत व अन्य अत्यावश्यक प्रकृति के अन्य आवेदन पत्र ई—मेल के माध्यम से आई.डी royalamit21@gmail.com पर भेज सकेंगे। ई—मेल करने अथवा व्ही.सी. के माध्यम से सुनवाई में समस्या उत्पन्न होने पर जूनियर सिस्टम एनालिस्ट श्री अमित बावने मोबाइल नंबर 9425871458 एवं श्री विजय शेरके, डी.एस.ए. 9424949804 पर संपर्क करें। तहसील स्तर पर सुपुर्दगी व जमानत आवेदनपत्र तहसील न्यायालयों में पदस्थ आई.टी. असिस्टेंट/एस.ए. की निम्नानुसार ईमेल आई.डी. पर भेजे जायेंगे।

| तहसील | ई—मेल आई.डी. | आई.टी.असिस्टेंट | मोबाईल नंबर |
|---|---|---|---|
| सौंसर | ramgopaljbp@gmail.com | श्री रामगोपाल जंघेला | 9406773259 |
| पांढुर्णा | vishal.itasist@gmail.com | श्री विशाल रामटेके | 8839726382 |
| परासिया | amshukla07@gmail.com | श्री अंशुमन शुक्ला | 9479485777 |
| जुन्नारदेव एवं तामिया | sourabh.sharma4640@gmail.com | श्री सौरभ शर्मा | 8989489640 |
| अमरवाड़ा एवं हर्रई | mahendrakumar_jhariya@yahoo.com | श्री महेन्द्र झारिया | 9770348884 |
| चौरई | praveen21mar@gmail.com | श्री प्रवीण झारिया | 8818992099 |

13— ऐसे अर्जेन्ट प्रकृति के सिविल व आपराधिक मामले जिनकी सुनवायी तत्काल किया जाना आवश्यक हो, ऐसे मामलों की सुनवायी संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा रिमाण्ड अवधि में की जायेगी।

14— कोविड—19 के संक्रमण की रोकथाम के लिये माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर एवं इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश क.—Q-47 दिनांक 27.03.2021 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

यह आदेश दिनांक 10.05.2021 से 13.05.2021 के लिये प्रभावशील रहेगा। तत्पश्चात् अन्य आदेश के अभाव में न्यायालयों में प्रकरणों की सुनवाई इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश क.—Q-47, दिनांक 27.03.2021 अनुसार की जावेगी।

(बी0पी0 शर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छिन्दवाड़ा

**प्रतिलिपिः—**

1— निज सचिव, माननीय पोर्टफोलियो जज, उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2— माननीय रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3— अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, जिला छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

4— अध्यक्ष, तहसील अधिवक्ता संघ, तहसील— सौंसर, पांढुर्णा, अमरवाड़ा, चौरई, परासिया, जुन्नारदेव, हर्रई, तामिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

5— समस्त न्यायिक अधिकारीगण, छिंदवाड़ा, सौंसर, पांढुर्णा, अमरवाड़ा, चौरई, परासिया, जुन्नारदेव, हर्रई, तामिया, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

6— जिला दंडाधिकारी, छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

7— पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे समस्त आरक्षी केंद्र प्रभारियों को सूचना प्रेषित करें।

8— जेल अधीक्षक, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

9— जिला अभियोजन अधिकारी एवं लोक अभियोजक, छिंदवाड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

10— प्रभारी अधिकारी/जूनियर सिस्टम एनालिस्ट जिला न्यायालय छिंदवाड़ा की ओर सभी न्यायिक अधिकारीगण को ई—मेल से सूचित किये जाने एवं जिला न्यायालय की वेब—साईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

11— प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग छिंदवाड़ा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि न्यायालय परिसर के मुख्य द्वारों पर संलग्न नोटिस चस्पा किये जाने हेतु।

12— कोविड—19 के बचाव हेतु गठित कमेटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

13— कार्यालय जन सम्पर्क अधिकारी, छिंदवाड़ा की ओर सभी दैनिक समाचार पत्रों में उपरोक्तानुसार समाचार प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित।

(बी०पी० शर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छिन्दवाड़ा